

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
कुरुक्षेत्र - 136119
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
KURUKSHETRA-136119

संख्या/No.: सा./Gen.-1/3765/ 4079

दिनांक/Dated: 31/07/2016

परिपत्र/ Circular

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) का प्रभावी अनुपालन।
Subject: Effective Compliance of Section 3(3) (As amended, 1967) of Official Language Act, 1963-reg.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले सभी कागज़ात द्विभाषी रूप में, अर्थात हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी करें और, कागज़ात जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतरण अंग्रेज़ी रूपांतरण के ऊपर/पहले रहे।

It is obligatory for all the Ministries/Departments of Govt. of India and their attached/subordinate offices to issue all the documents under Section 3(3) of Official Languages Act, 1963 (As amended, 1967) bilingually i.e. in Hindi and English simultaneously and while issuing them this should be kept in mind that the Hindi version is above/before the English version.

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा (3) के अंतर्गत समाविष्ट दस्तावेजों की सूची संलग्न है। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों/शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाएं।

List of documents covered under Section (3) of Official Languages Act, 1963 (As amended, 1967) is enclosed herewith. It shall be responsibility of the Officer/Teachers signing such documents to ensure that these documents are made, executed and issued both in Hindi and in English.

संस्थान के सभी अधिकारियों/शिक्षकों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराएं और इसकी अनुपालन सुनिश्चित करें।

All the Officers/Teachers of the Institute are requested that contents of this circular may be brought to the notice of the staff working under them and ensure compliance.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

विनोद कुमार

संलग्न/Encl(s): यथोपरी/As above

कुलसचिव प्रभारी/Registrar Incharge

प्रति: सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख

To: All Department/Office/Sections Heads

प्रतिलिपि:

- माननीय निदेशक की जानकारी के लिए, निदेशक महोदय के वरिष्ठ निजी सहायक को /Sr. Personal Assistant to the Hon'ble Director for kind information of the Director.
- कुलसचिव कार्यालय - कुलसचिव की जानकारी के लिए/Office of the Registrar, for kind information of the Registrar.
- प्रो. राजेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष (राजभाषा कार्यान्वयन समिति) जानकारी के लिए /Prof. Rajesh Kumar Aggarwal, Vice-Chairman (Official Language Implementation Committee) for kind information.
- प्रो. प्रभारी, सीसीएन: संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने की कृपा करें/Prof. Incharge CCN: with a request to upload the circular in the Institute website

धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों की सूची

01	सामान्य आदेश* General Orders*	08	करार Agreements
02	संकल्प Resolution	09	अनुज्ञप्तियां Licenses
03	परिपत्र Circulars	10	निविदा-प्रारूप Tender Forms
04	नियम Rules	11	अनुज्ञा-पत्र Permits
05	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन Administrative or other reports	12	निविदा सूचनाएं Tender Notices
06	प्रेस विज्ञप्तियां Press Release/Communiques	13	अधिसूचनाएं Notifications
07	संविदाएं Contracts	14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र Reports and documents to be laid before the Parliament

* कार्यालय आदेश Office Order, कार्यालय ज्ञापन Office Memorandum, पृष्ठांकन Endorsement, ज्ञापन Memorandum, इत्यादि ।